

कार्यालय आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन
मध्यप्रदेश

विधानसभा तारंगिकित प्रश्न क्रमांक 2495 की जानकारी
(दिनांक 01 जनवरी 2019 से फरवरी 2021 तक)

खाद्य एवं पेय पदार्थों खाद्य तेल, दूध, घी, मावा, पनीर, भिखान व स्थितिक मावा, तम्बाकू युक्त पान मसाला, गुटखा की जानकारी
परिशिष्ट - 01

क्रं	खाद्य सुरक्षा अधिकारी का नाम	फर्म/विकेता का नाम व पता	नमूने का नाम	नमूना लेने की दिनांक	जांच परिणाम		न्यायालय में दायर करने की दिनांक	निर्णित प्रकरण			दूषित, नकली एवं भिलावटी पदार्थों का निष्ठाया प व एकसाया से जप्त किये गये खाद्य पदार्थ की मात्रा	जप्त शुदा का निराकरण करने की दिनांक	जप्त शुदा सामग्री का निराकरण / नष्ट करने की दिनांक	जप्तशुदा खाद्य पदार्थ की मात्रा जो निराकरण करने हेतु अभिहित अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया गया है ?	रिमार्क		
					पास	फेल		ए.डी.एम	सी.जे.एम	ए.डी.एम						दोष सिद्ध	दोष मुक्त
1	[क्र. 2495]																
1.	पूकंद शारिया	मानसी डेरी मथुरा विहार लमती जबलपुर/ संतोष कुमार गुप्ता / पिता जगदीश प्रसाद गुप्ता मथुरा विहार लमती जबलपुर		22.07. 2019		अवमानक	न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी प्रकरण क्रमांक 209 / बी-1 21 / 19-2 0 (प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है)						120 किलो कृत्रिम घी (जप्त सामग्री खाद्य काराबार कर्ता के पास सुपुर्दगी में है)	25000 रु.		प्रकरण अवमानक खाद्य पदार्थ का होने व उक्त प्रकरण में न्यायालयीन कार्यवाही की प्रत्याशा में अधिनियम की धारा 47(4) के अंतर्गत निर्णय संबंधित कार्यवाही स्थगित	

21/3/21
(Sd/-)
(Sd/-)

2	विनोद धुर्वे	स्टर फंस कर्टगी करमेता जबलपुर/ अरविन्द कुमार जगदीश प्रसाद गुप्ता	सिटी 04, रोड तेल	सोयाब तेल	22.07. 2019	-	अपद्रव्य		सी.जे.एम. न्यायालय क्रमांक UNCR/ 8977/2 0-21 (प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है)								200 किलो सोयाबीन तेल (अपद्रव्य) (जस्त सामग्री खाद्य काराबार कर्ता के पास सुपुर्दगी में है)	34000 रु.		प्रकरण अवमानक खाद्य पदार्थ का होने व उक्त प्रकरण में न्यायालयीन कार्यवाही की प्रत्याशा में अधिनियम की धारा 47(4) के अंतर्गत अग्रिम कार्यवाही स्थगित	
3.	पेनेन्द्र मेश्राम	विष्णु का गंगाराम बाड़ा परथर जबलपुर/ नारायण गुप्ता	गुप्ता घर का सोयाब तेल	रिफाई ड सोयाब तेल आइल	24.08. 2020	पास	-										1500 किलो सोयाबीन तेल (जस्त सामग्री खाद्य काराबार कर्ता के पास सुपुर्दगी में है)	1,1250 0 रु.		आरोपी विकेटा के दिनांक 24.08.2020 को अन्य खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा भी नमूने लिये गये है। जो जांच में अवमानक घोषित किये गये है। अतः अवमानक खाद्य पदार्थ से प्रकरण संबंधित होने व प्रकरण में न्यायालयीन कार्यवाही की प्रत्याशा में अधिनियम की धारा 47(4) के अंतर्गत अभिहित अधिकारी द्वारा अग्रिम कार्यवाही स्थगित	
4.	माधुश्री मिश्रा	विष्णु का गंगाराम बाड़ा परथर जबलपुर/ नारायण दास गुप्ता	गुप्ता घर का वनस्पति त	जलड़ा वनस्पति	24.08. 2020	-	अपद्रव्य		न्यायालय न्याय निष्पन्न अधिकारी प्रकरण क्रमांक 210/बी-1 21/ 20-201 (प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है)							7.155 किलो जलड़ा वनस्पति (जस्त सामग्री खाद्य काराबार कर्ता के पास सुपुर्दगी में है)	5,36,62 5 रु.		प्रकरण अवमानक खाद्य पदार्थ का होने व उक्त प्रकरण में न्यायालयीन कार्यवाही की प्रत्याशा में अधिनियम की धारा 47(4) के अंतर्गत अग्रिम कार्यवाही स्थगित	प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन	

5.	सारिका दीक्षित	विष्णु का गंगाराम बाइका पत्थर जबलपुर/ विष्णु नारायण दास गुप्ता	गुप्ता घर का बइका रांडी	डी	24.08. 2020	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1000 किलो डी (जवा सामग्री खाद्य कारावार कर्ता के पास सुपुर्दगी में है)	20,735 रु.	5	—	—	रिपोर्ट अप्राप्त
6.	विनोद धुर्वे	विष्णु का गंगाराम बाइका पत्थर जबलपुर/ विष्णु नारायण दास गुप्ता	गुप्ता घर का बइका रांडी	डी	22.01. 2021	-	अवमानक	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500 किलो कृत्रिम डी, तेल, वनस्पति (जवा सामग्री खाद्य कारावार कर्ता के पास सुपुर्दगी में है)	1,35,000 रु.	0	—	—	धारा 46 (4) का नोटिस जारी है
7.	मायुरी मिश्रा	मा. दीप मदनमहल जबलपुर/ संतोष केशरवानी/ विला नारायण दास केशरवानी मथुरा विजयनगर जबलपुर	नर्मदा इण्डस्ट्रीज म.न. 2197	डी	27.02. 2021	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	735 किलो कृत्रिम डी, जलडा वनस्पति (जवा सामग्री खाद्य कारावार कर्ता के पास सुपुर्दगी में है)	1,17,200 रु.	0	—	—	रिपोर्ट अप्राप्त

डी. ए. पाठक
 District Food Inspector
 (Generalist)
 District Food Inspection Dept.

संयुक्त निरीक्षक
 खाद्य एवं औषधि प्रशासन
 मध्यप्रदेश